

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 3(12)नविवि/11/2020

जयपुर, दिनांक: 27 MAR 2023

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजकार्य के सुचारु संचालन को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला नगर नियोजन इकाईयों के पद का अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नगर नियोजन इकाई
1	श्री मनमोहन कुमावत, सहायक नगर नियोजक (सेवानिवृत्त)	नगर विकास न्यास, चित्तोडगढ, उप नगर नियोजक के रिक्त पद के विरुद्ध	चित्तोडगढ (श्रीमती रितु शर्मा, उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, उदयपुर के स्थान पर)

आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर उपलोड करावें।
5. श्रीमती रितु शर्मा, उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, उदयपुर।
6. श्री मनमोहन कुमावत, सेवानिवृत्त सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, चित्तोडगढ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय